

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में
सी०एम०पी० संख्या—301 / 2019

अजय रस्तोगी

..... याचिकाकर्ता (एस)

बनाम

झारखण्ड राज्य और अन्य

..... विपक्षी पार्टी (एस)

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन

वीडियो कॉन्फ़ेसिंग के माध्यम से

याचिकाकर्ता के लिए : श्री अंकित विशाल, अधिवक्ता

विपरीत पक्ष के लिए : श्री अवनीश शेखर, ए०ए०जी० के ए०सी०

03/17.12.2021 याचिकाकर्ता के अधिवक्ता इस याचिका को वापस लेने की अनुमति चाहते हैं।

अनुमति जैसा मांगी गई है, दी जाती है।

तदनुसार, इस याचिका को वापस लेने के कारण खारिज किया गया।

(आनंदा सेन, न्याया०)